क्रम-संख्या–177

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 713 / वि0स0 / संसदीय / 66(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 में नई धारा 168क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''168क–(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती है, अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति

(2) इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'अपरिहार्य घटना' का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।''

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7, सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, माल या सेवा अथवा दोनों के अंतः राज्यीय पूर्ति पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

2–कोविड–19 के कारण लाक–डॉउन के फलस्वरूप करदाताओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को नियंत्रित करने हेतु प्रस्तावित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 में उक्त अधिनियम सन् 2017 की धारा 168 के पश्चात् एक नई धारा 168क बढ़ाये जाने का उपबंध किया गया है, जो सरकार को, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से अपूर्वतर भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय–सीमा में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करती है।

3–चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

4–यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
2	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 के खण्ड 2 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 168क की उपधारा (1) में राज्य सरकार को परिषद् की सिफारिशों पर ऐसी रीति और समय को विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिसमें ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती है, अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, की समय सीमा में वृद्धि कर सकेगी।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।

योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।

———

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

———

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 545/XC-S-1–20-33S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Mall Aur Seva Kar (Dviteeya Sanshodhan) Vidheyak, 2020" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020;

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 2020.

Insertion of new section 168A in U.P. Act no. 1 of 2017

2. *After* section 168 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, the following section shall be *inserted,* namely:—

"168A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on recommendations of the council, by notification extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure.*

Power of Government to extend time in special circumstances

(2) The power of this section shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

Explanation:-For the purpose of this section the expression '*force majeure'* means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

U. P. Ordinance no. 7 of 2020

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) hereafter referred to as the said Act, has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on *intra-state* supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh.

2. To overcome the difficulties faced by tax payers, arising by reason of Lockdown due to COVID-19, the proposesd Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2020 provides for insertion of a new section 168A after section 168 of the said Act, 2017, which empowers the Government by notification, even retrospectively not earlier than the date of commencement of this Act, to extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 7 of 2020) was promulgated by the Governor on April 22, 2020.

4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH,
Mukhya Mantri,

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 259 राजपत्र–2020–(660)–599+25+5=629 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

259 RPH (Gst-II) (Sansadiya) 2020 Data 4e